न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 172/2020 निर्णय दिनांक :– 25-8-20

उनवान

1. राजू लाल जाट
2. बाबू लाल जाट पुत्रान् स्व. श्री धन्ना लाल जाट जाति जाट,

निवासीयान–ग्राम जयपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला

जयपुर।

––अप्रार्थीगण

दावा बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया कि वाके ग्राम जयपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर में आराजी खाता सं. 10 में खसरा नंबर 569 रकबा 0.03 है0 खसरा नंबर 570 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 571 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 656 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 657 रकबा 0.56 है0, खसरा नंबर 657/1291 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 658 रकबा 0.1[illegible] है0, खसरा नंबर 659 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर662 रकबा 0.65 है0, खसरा नंबर 676 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 682 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 68[illegible] रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 685 रकबा 0.33 है0, खसरा नंबर 695 रकबा 0.1[illegible] है0, खसरा नंबर 870 रकबा 2.26 है0, खसरा नंबर 871 रकबा 0.33 है0, खस[illegible]

उपखण्ड अ[illegible]
चाकसू (ज[illegible]

D:\Office\CRT\raju vs sarkar.docx

नंबर 872 रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 939 रकबा 2.27 है0, खसरा नंबर 94
रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 941 रकबा 0.90 है0, खसरा नंबर 942 रकबा 2.1
है0, खसरा नंबर 943 रकबा 0.92 है0, खसरा नंबर 944 रकबा 0.94 है0, खस
नंबर 945 रकबा 0.52 है0, खसरा नंबर 946 रकबा 1.40 है0, खसरा नंबर 95
रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 953 रकबा 0.74 है0, खसरा नंबर 954 रकबा 0.2
है0, खसरा नंबर 955 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 956 रकबा 1.04 है0, खस
नंबर 957 रकबा 0.01 है0, कुल किता 31 कुल रकबा 17.50 है0 स्थित है
जिसमें वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड अुनसार अंकित व स्थित है। उपरोक
वर्णित आराजी पूर्व में वादीगण के पिता स्व धन्ना के नाम राजस्व रिकार्ड में द
थी। वादीगण के पिता की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी का विरासत नामान्तकरण
जब वादीगण व उनकी माता के नाम खुला तब गलती से वादी सं. 01 का नाम
राजू लाल जाट की जगह राजेन्द्र एवं वादी सं. 02 का नाम बाबू लाल जाट की
जगह रामकल्याण कर दिया गया क्योकि वादी सं. 01 राजूलाल जाट को घर व
गांव में राजेन्द्र व वादी सं. 02 बाबू लाल जाट को रामकल्याण कहकर पुकार
जाता था जबकि वादी सं. 01 राजू लाल जाट व राजेन्द्र एवं वादी सं. 02 बाबू
लाल जाट व रामकल्याण दोनो ही नाम वादीगण के है। वादीगण के तमाम
दस्तावेजात वादी सं. 01 राजूलाल जाट व वादी सं. 02 बाबू लाल जाट के नाम
से है।वादीगण के समस्त कागजात पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, शिक्षा
सबंधी दस्तावेज (टी.सी) इत्यादि वादी सं. 01 राजू लाल जाट व वादी सं. 02
बाबू लाल जाट के नाम से बने हुये है। उक्त नामान्तकरण में सहवन से वादी
सं. 01 राजू लाल जाट की जगह राजेन्द्र व वादी सं. 02 बाबू लाल जाट की
जगह रामकल्याण कर दिया गया तो दुरूस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार
वादी सं. 01 राजू लाल जाट व वादी सं. 02 बाबू लाल जाट पुत्रान् धन्ना लाल
का नाम केवल वादीगण का ही है वादीगण को दोनो नामो सें पुकारा जाता है
वादीगण के अलावा उक्त नाम के व्यक्ति ग्राम जयपुरा में और कोई नही है।

उपखण्ड अधि
चाकसू (जयपु

वादीगण का नाम वादी सं0 01 राजू लाल जाट की जगह राजेन्द्र व वादी सं 02 बाबू लाल जाट की जगह रामकल्याण नामान्तकरण तस्दीक करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं उक्त दुरूस्ती क बिना वादीगण अपनी जमीन पर मिलने वाले राजकीय लाभो, ऋणो इत्यादि से वंचित है वादीगण ने अपनी जमीन पर किसान केडिट कार्ड बनवाना चाहा लेकिन वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत होने के कारण नही बना। वादीगण ने तहसील कार्यालय चाकसू में नाम दुरूस्ती हेतु आवेदन किया तो तहसीलदार साहब चाकसू ने कहा कि सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती आदेश लाओ तब हम दुरूस्त कर पायेगे। इसलिये वादीगण को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वाद कारण जब वादीगण ने अपने नाम की आराजी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबंदी निकलवायी तो गलत नाम होने का पता चला तथा तहसीलदार जी द्वारा समक्ष न्यायालय से आदेश लाने पर ही नाम दुरूस्त करने की बात कहने पर उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। दावा वादीगण बहक प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद नं. 01 में वर्णित आराजी में वादी सं. 01 का नाम राजेन्द्र पुत्र धन्ना लाल को लोपित कर राजू लाल जाट पुत्र धन्ना लाल व वादी सं. 02 का नाम रामकल्याण पुत्र धन्ना लाल को लोपित कर बाबू लाल जाट पुत्र धन्ना लाल घोषित किया जावे तथा तहसीलदार जी को आदेशित किया जावे कि वादीगण का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अमल वादी सं. 01 राजेन्द्र की जगह राजू लाल जाट एवं वादी सं. 02 रामकल्याण की जगह बाबू लाल जाट किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादी की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पेदा नहीं करें। दावा वकील वादी का पेश किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी व जवाब सरकार हेतु लिखा गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि मद संख्या 1 के कम में मुताबिक राजस्व जमांबदी सम्वत 2075–78 ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जयपुरा के खाता संख्या नया 1 एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के ग्राम जयपुरा की वर्तमान जमाबंदी खसरा नं0 569 सं 571, 656 से 659, 657/1291, 662, 676, 68, 684, 685, 695, 870 से 872, 939 से 946, 952 से 957 कुल किता 31 कुल रकबा 17.50 है0 राजेन्द्र पुत्र धन्ना हिस्सा 9/160 व रामकल्याण पुत्र धन्ना हिस्सा 9/160 जाति जाट सा0 देह व अन्य सह खातेदारों के नाम दज रिकार्ड है। मदं सख्या 2 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या के 3 के कम में मुताबिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट जमांबदी में खाता संख्या 10 में राजेन्द्र पुत्र धन्ना व रामकल्याण पुत्र धन्ना जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जबकी वादीगण के राशनकार्ड आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र में वादीगण का नाम राजूलाल व बाबूलाल पिता धन्नालाल जाति जाट अंकित है। मद संख्या 4 का प्रथम भाग वादी स्वंय सिद्ध करें, शेष कानूनी है। मंद संख्या 5 स 7 कानूनी है। मद संख्या 8 (क) से 8 (ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जवाब सरकार प्राप्त होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रस्तुत दस्तावेज एवमं जवाब सरकार अनुसार वादी का दावा डिक्रि फरमाया जावें। वादी ने दावे क समर्थन में जमाबन्दी ग्राम जयपुरा की सम्वंत 2075–78 के खाता सं. 10 , मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, राजूलाल जाट आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड बीना पत्नि राजूलाल अंक तालिका बाबूलाल जाट, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड पभूदेवी, बतौर सबुत दस्तावेज पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गोर किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व दावा व जवाब सरकार का परीक्षण किया तो सिवाय राजस्व जमाबंदी के अतिरिक्त समस्त दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र एवमं कन्हैयालाल, रामफल के शपथ पत्र के आधार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्रि किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम जयपुरा तहसील चाकसू के खाता सं. 10 में ख.न 569, 570, 571, 656, 657,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

657/1291, 658, 659, 662, 676, 682, 684, 685, 695, 870, 871, 940, 941 से 946, 952 से 957 कुल किता 31 रकबा 17.50 है0 व का नाम राजेन्द्र पुत्र धन्ना लाल का लोपित कर उसके स्थान पर रा धन्नालाल व वादी सं. 02 का नाम रामकल्याण पुत्र धन्नालाल को बाबूलाल जाट पुत्र धन्ना लाल घोषित किया जाता है। व शुद्ध नाम पुत्र धन्नालाल व बाबूलाल जाट पुत्र धन्नालाल जाट शुद्ध किये जाने दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें निर्ण डिक्रि जारी हो। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली बा दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड

चा